भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2835

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

पीएमएस-एससी योजना

2835. श्री मनोज कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय और राज्य हिस्सेदारी की राशि का ब्यौरा क्या है तथा लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पीएमएस-एससी दिशानिर्देश, 2021 के अनुसार फ्रीशिप कार्ड लागू न होने और पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति न होने के कारण छात्र प्रभावित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय पीएमएस-एससी योजना के अंतर्गत शुल्क की मनमानी उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कारण से पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार को कुल 21,363 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता में से केवल 130 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और केवल 3,57,111 छात्र ही लाभान्वित हुए; और

(ङ) यदि हां, तो बिहार में पीएमएस-एससी दिशानिर्देश, 2021 के तहत फ्रीशिप कार्ड के सख्त कार्यान्वयन और पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने तथा शुल्क की मनमानी सीमा को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नामक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना के तहत, छात्रवृत्ति

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी की जाती है। बिहार राज्य सहित देश भर में पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों और संवितरण का ब्यौरा **अनुलग्नक-I में दिया गया है।**

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) के दिशा-निर्देशों में फ्रीशिप कार्ड का प्रावधान है जिसके तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पात्र छात्रों के लिए फीस का पूर्व-भुगतान किए बिना संस्थान में अध्ययन करने के लिए निःशुल्क फ्रीशिप कार्ड जारी करता है। छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित किए गए भुगतान संबंधी डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर साझा करने के उपरांत जारी किया जाता है। यह योजना ओपन एंडेड और मांग आधारित है। इसके अलावा, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की शुल्क निर्धारण/युक्तिकरण समिति द्वारा यथानिर्धारित ट्यूशन फीस सहित अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क योजना के तहत वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार लाभार्थियों को वितरित किया जाता है।

बिहार राज्य सरकार ने दिनांक 03.02.2026 के संकल्प के माध्यम से केंद्रीय/राज्य शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत पूर्ण भुगतान के साथ निर्धारित अनिवार्य शुल्क और ट्यूशन फीस का प्रावधान किया है।

योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अभ्यावेदन योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को तत्काल अग्रेषित किए जाते हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

पीएमएस-एससी योजना के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2835, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि {जारी केन्द्रीय सहायता (सीए)}

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	133.4	600089	143.9	685102	317.4	658534	90.0	660193	287.6	369316
2.	असम	8.1	40236	16.9	38366	0.00*	23874	15.0	7606	0.00*	6668
3.	बिहार	74.7	155000	40.8	एनआर	0.00*	89213	0.00*	96189	0.00*	109869
4.	चंडीगढ़	0.00*	2600	0.00*	3000	1.4	2203	7.9	1086	0.00*	769
5.	छत्तीसगढ़	6.2	86335	1.9	90871	39.0	95565	3.2	104900	3.2	96362
6.	दमन दीव और दादर नगर हवेली	0.00*	156	0.00*	170	0.00*	एनआर	0.00*	एनआर	0.00*	-
7.	दिल्ली	0.00*	27064	4.7	एनआर	0.00*	20100	7.0	14057	1.9	19508
8.	गोवा	0.1	247	0.00*	108	0.1	280	0.00*	280	0.00*	201
9.	गुजरात	59.6	159013	52.4	166582	143.4	131169	180.5	127102	0.00*	131284
10.	हरियाणा	68.6	76222	107.3	94377	0.00*	123062	58.0	123062	0.00*	91438
11.	हिमाचल प्रदेश	27.0	48685	24.0	55213	74.2	33057	53.2	24949	0.00*	20758
12.	जम्मू और कश्मीर	0.9	12452	2.0	4094	13.6	11040	0.00*	7159	0.00*	11995
13.	झारखंड	9.1	33733	20.7	एनआर	8.9	20177	17.2	22629	0.00*	24038
14.	कर्नाटक	38.4	318125	33.0	297478	395.4	322606	29.1	302286	121.4	330000

15.	केरल	16.4	120667	42.6	131314	83.9	132286	0.00*	146998	9.8	139821
16.	मध्य प्रदेश	103.0	288358	33.0	323642	230.4	361268	0.00*	361268	0.00*	339676
17.	महाराष्ट्र	279.8	524232	106.6	404656	504.9	540993	1433.9	426506	0.00*	325856
18.	मणिपुर	6.2	4041	5.8	7310	7.5	6566	7.5	5516	7.9	8163
19.	मेघालय	0.00*	0.00	0.00*	0.00	0.00*	0.00	0.00*	0.00	0.00*	0.00
20	ओडिशा	89.9	179454	198.8	106668	47.4	202125	208.9	202917	140.7	169666
21.	पुडुचेरी	0.00*	5426	0.00*	एनआर	0.00*	6241	0.00*	6241	0.00*	6422
22	पंजाब	89.3	305822	280.0	309468	115.7	274730	631.3	200553	206.4	0
23	राजस्थान	82.5	143602	200.5	310639	329.3	191184	77.6	339157	314.5	457915
24	सिक्किम	1.6	291	2.5	328	0.00*	361	1.0	387	1.0	464
25	तमिलनाडु	460.6	758290	743.2	796206	434.4	761114	1407.3	761114	925.8	611434
26	तेलंगाना	124.5	265108	331.6	278363	140.2	212706	0.00*	272169	0.00*	220381
27	त्रिपुरा	16.2	16765	19.0	14943	19.9	14652	25.9	16982	35.4	17992
28	उत्तर प्रदेश	469.0	947622	270.0	1095469	254.2	1238139	1672.8	1274740	655.1	1360376
29	उत्तराखंड	25.1	20194	73.0	39864	39.6	69504	0.00*	73920	0.00*	38077
30	पश्चिम बंगाल	22.8	540976	43.6	607744	212.5	382795	0.00*	450004	0.00*	518953
	कुल	**2213.8**	**5680805**	**2798.7**	**5861975**	**3414.1**	**5925544**	**5928.1**	**6029970**	**2711.3**	**5427402**

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकीं

एनआर-रिपोर्ट नहीं किया गया

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	450.0	409678	298.5	243823	372.5	238915	200.5	195269	605.7	3,03,298
2.	असम	18.0	7942	0.00	0.00	9.2	11140	13.9	8426	8.7	12,073
3.	बिहार	47.8	78181	0.00	0.00	37.5	136340	21.2	68975	23.9	73,615
4.	चंडीगढ़	0.00	1128	1.5	899	2.4	876	0.5	287	2.7	1,253
5.	छतीसगढ़	38.5	101987	29.0	87464	45.0	96267	36.1	79237	39.9	87,675
6.	दमन दीव और दादर नगर हवेली	0.00	142	0.00	0.00	0.2	98	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	दिल्ली	0.00	20709	0.00	0.00	13.6	7531	9.9	3,160	22.1	4,692
8.	गोवा	0.00	66	0.00	0.00	0.00031	1	0.04	34	0.08	58
9.	गुजरात	170.3	145413	102.5	97697	220.2	113531	384.2	1,79,116	399.9	1,57,584
10.	हरियाणा	0.00	68183	0.00	0.00	131.5	87913	120.5	70,464	94.8	55,444
11.	हिमाचल प्रदेश	11.3	16445	0.00	0.00	17.6	21502	22.4	23,959	35.6	33,149
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	9856	0.03	100	5.4	10097	4.6	7,370	4.0	6,567
13.	झारखंड	13.4	30608	4.1	7805	18.1	33922	31.3	44,610	45.0	57,784
14.	कर्नाटक	252.7	318389	65.4	131448	342.0	458548	421.0	4,03,965	422.9	4,04,008
15.	केरल	86.8	125898	45.7	90866	56.8	42521	119.1	1,55,319	160.7	1,47,531
16.	मध्य प्रदेश	319.4	475993	8.2	48270	335.0	445319	366.8	3,46,289	486.7	6,36,303
17.	महाराष्ट्र	558.0	391778	63.0	68576	359.4	148573	1652.9	7,49,317	929.9	3,62,808
18.	मणिपुर	6.8	6096	0.00	0.00	7.3	8988	1.9	2,125	6.7	7,938
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	25

20.	ओडिशा	130.6	173264	78.2	75530	338.3	299369	127.4	1,43,861	181.5	1,91,873
21.	पुडुचेरी	2.2	4303	0.00	0.00	3.6	3904	2.8	2,564	3.2	2,694
22.	पंजाब	191.5	176482	209.7	152157	62.8	40708	284.8	1,99,508	410.4	2,94,284
23.	राजस्थान	284.0	365604	95.6	217176	241.3	303252	147.1	1,51,922	180.5	2,29,002
24.	सिक्किम	0.8	351	0.00	0.00	0.7	448	0.52	216	0.4	172
25.	तमिलनाडु	120.2	654131	278.8	441672	726.2	543772	713.7	6,43,761	1032.0	9,34,793
26.	तेलंगाना	245.0	223613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00#	0.00#
27.	त्रिपुरा	30.3	14721	0.00	0.00	38.9	22278	40.9	16,858	51.6	19,849
28.	उत्तर प्रदेश	892.3	802648	537.2	868554	926.0	1269634	674.8	9,49,934	366.0	6,44,827
29.	उत्तराखंड	9.7	30530	0.00	0.00	12.5	27735	12.9	23,804	19.6	26,216
30.	पश्चिम बंगाल	128.1	361943	112.2	493099	63.3	273953	62.4	2,68,228	26.6	1,08,693
	कुल	**4008.6**	**5016082**	**1930.3**	**3025136**	**4388.3**	**4647135**	**5475.4**	**4738578**	**5562.2**	**4804208**

तेलंगाना राज्य 2024-25 से ऑन-बोर्ड है और केंद्रीय पोर्टल पर तेलंगाना राज्य से इसके हिस्से का भुगतान डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।

*****